

## होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली

### होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन) विनियम, 1976

सं० 7-1/83-सी० सी० एच० —होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—इन विनियमों का नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन) विनियम, 1976 है।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) अभिप्रेत है;
- (ख) "परिषद्" से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है;
- (ग) "प्ररूप" से इन विनियमों से उपावद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (घ) "सदस्य" से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ङ) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (च) "रिटनिंग अधिकारी" से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विनियमों के प्रयोजन के लिए इस रूप में नियुक्त किया जाए।
- (छ) "उपाध्यक्ष" से परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. अध्यक्ष का निर्वाचन—(i) निर्वाचन के समय उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

(ii) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नियुक्त रिटनिंग अधिकारी प्रत्येक सदस्य को निर्वाचन की तारीख, समय और स्थान की सूचना अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पहले देगा।

(iii) किसी भी उपस्थित सदस्य को किसी अन्य उपस्थित सदस्य का नाम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए प्रस्तावित करने का हक होगा। प्रस्ताव का अनुमोदन ऐसा कोई सदस्य कर सकेगा जो प्रस्तावक या उस सदस्य से भिन्न है जिसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित है।

परन्तु एक सदस्य को केवल एक नाम प्रस्तावित या अनुमोदित करने का हक होगा।

(iv) कोई अभ्यर्थी वास्तविक निर्वाचन से पहले अपनी अल्पसंख्यकता बापस ले सकता है।

(v) यदि केवल एक अभ्यर्थी का नाम सम्यक् रूप से प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाता है तो रिटनिंग अधिकारी तत्काल ऐसे अभ्यर्थी को प्ररूप "ख" में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(vi) यदि सम्यक् रूप से प्रस्तावित और अनुमोदित अभ्यर्थियों की सं० एक से अधिक है तो गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जाएगा।

(vii) यदि सदस्य मत पेटी (बैलेट बाक्स) का निरीक्षण करना चाहें तो रिटनिंग अधिकारी निर्वाचन प्रारम्भ होने से पहले उन्हें ऐसा करने के लिए आमंत्रित करेगा। वह स्वयं भी मत पेटी को देखेगा।

(viii) अधिवेशन में उपस्थित सदस्य वास्तविक निर्वाचन के समय उस सूची में एक-एक करके अपने नाम के सामने अपना हस्ताक्षर करेंगे जिसमें सभी सदस्यों के नाम अक्षरक्रम के अनुसार दिए गए हैं और जो मत पेटी के पास रखी गई है।

(ix) उक्त सूची में सदस्य द्वारा अपना नाम हस्ताक्षरित कर बिना जाने के पश्चात्, उसे प्ररूप "क" में मत-पत्र (बैलेट पेपर) दिया जाएगा जिसमें वह अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के नाम के सामने क्रस (X) का चिह्न लगाकर उसे मत पेटी में डालेगा।

(x) उपस्थित और मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक सभी सदस्य ज्योंही ऐसा कर देते हैं त्योंही रिटनिंग अधिकारी उन अभ्यर्थियों की उपस्थिति में जो स्वयं उपस्थित हों, मत पेटी खोलेगा और उसमें से सभी मत-पत्रों को निकालेगा, उनकी जांच करेगा और यदि कोई मत-पत्र निम्नलिखित दशा में है तो उसे अवैध मानकर अस्वीकार करेगा :—

- (क) यदि उस पर रिटनिंग अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं; या
- (ख) यदि उस पर सदस्य अपने नाम का हस्ताक्षर कर देता है या कोई शब्द लिख देता है या कोई चिह्न बना देता है जिसमें वह मत-पत्र उसके मत-पत्र के रूप में पहचाना जा सकता है; या
- (ग) यदि उस पर कोई मत अलिखित नहीं है; या
- (घ) यदि मतदान के प्रयोग के बारे में अनिश्चितता है; या
- (ङ) यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मतदान किया गया है।

(xi) तब रिटनिंग अधिकारी वैध मतों को उन अभ्यर्थियों के क्रमानुसार, जिनके पक्ष में वे मत दिए गए हैं, व्यवस्थित करने के लिए अग्रसर होगा और प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मतों की गणना अलग अलग करेगा।

(xii) गणना समाप्त हो जाने के पश्चात् रिटनिंग अधिकारी अधिवेशन में यह घोषणा करेगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने मत प्राप्त हुए हैं और रिटनिंग अधिकारी प्ररूप "ख" में उस अभ्यर्थी को सम्यक् अध्यक्ष निर्वाचित हुआ घोषित करेगा जिसे विधिमान्य अधिकतम मत प्राप्त हुए हों।

(xiii) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को बराबर-बराबर संख्या में मत प्राप्त हुए हैं और यदि यह संख्या ऐसे दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों से भिन्न किसी अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या से अधिक है तो ऐसे दो अभ्यर्थियों के बीच निर्वाचन का अवधारण, लाट द्वारा किया जाएगा और जिसके पक्ष में लाट निकलता है उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(xiv) रिटनिंग अधिकारी अध्यक्ष के रूप में इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति का नाम केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगा।

4. उपाध्यक्ष का निर्वाचन—उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए विनियम 3 के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानों उस उपबन्ध में जहाँ कहीं "अध्यक्ष" शब्द आया है, वहाँ उसके स्थान पर "उपाध्यक्ष" शब्द रखा गया हो।

डा० पी० एल० वर्मा,  
सचिव



प्ररूप "क"

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन  
(होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विनियम 3 के  
अधीन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन  
विनियम, 1976)

मत-पत्र

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	

रिटर्निंग अधिकारी के  
हस्ताक्षर

अनुदेश

1. प्रत्येक निर्वाचक का केवल एक मत (वोट) होगा।
2. निर्वाचक को अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने क्रम  
(X) स्पष्ट रूप से लगाना चाहिए।

प्ररूप "ख"

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन,

(होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विनियम 3 के  
अधीन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन  
विनियम 1976)

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि—  
को, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के एक सदस्य हैं,  
होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उपधारा  
(2) के अधीन उक्त परिषद् का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सम्मकतः निर्वाचित किया  
गया है।

रिटर्निंग अधिकारी

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

**CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY**  
**HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (ELECTION OF**  
**PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT) REGULATIONS,**  
1976

New Delhi, the

1984

No. 7-1|83-CCH.—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title.—These regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Election of the President and Vice-President) Regulations, 1976.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) 'Act' means the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973);
- (b) 'Council' means the Central Council of Homoeopathy;
- (c) Form means a form annexed to these regulations;
- (d) 'Member' means a member of the Council;
- (e) 'President' means the President of the Council;
- (f) 'Returning Officer' means any officer appointed as such by the Central Government for the purpose of these regulations;
- (g) 'Vice-President' means the Vice-President of the Council.

3. Election of President.—(i) The President shall be elected by the members present at the time of election from amongst themselves.

(ii) The date, time and place of the election shall be intimated to each of the members by the Returning Officer appointed for this purpose at least seven days before the date of the meeting.

(iii) Any member present shall be entitled to propose a name of any other member present, for election as the President. The proposal shall be required to be seconded by a member other than the proposer or the one whose name is proposed:

Provided that one member shall be entitled to propose or second only one name.

(iv) Any candidate may withdraw his candidature before the actual election.

(v) If the name of only one candidate is duly proposed and seconded, the Returning Officer shall forthwith declare in Form 'B', such candidate duly elected.

(vi) If the number of candidates duly proposed and seconded exceeds one, an election shall be held by secret ballot.

(vii) Before the commencement of the election, the Returning Officer shall invite the members to inspect the ballot box, in case they may like to do so and he shall then lock the box.

(viii) At the time of actual election, the members present in the meeting shall, one by one, sign against their names in the list containing names of all the members in alphabetical order and placed along side the ballot box.



(ix) After a member has signed his name in the said list, he shall be given a ballot paper in Form 'A' which he shall drop into the ballot box after affixing thereon a cross (X) mark against the name of the candidate of his choice.

(x) As soon as all the members present and wishing to exercise the right to vote have done so, the Returning Officer shall, in the presence of the candidates who may be present in person, open the ballot box and take out from it all the ballot papers, examine them and reject as invalid any ballot paper —

- (a) If it does not bear the signature of the Returning Officer; or
- (b) if the member signs his name or writes any word or makes any mark on it by which it becomes recognisable as his ballot paper; or
- (c) if no vote is recorded thereon; or
- (d) if there is uncertainty of the vote exercised; or
- (e) if the vote has been given in favour of more than one candidate.

(xi) The Returning Officer shall then proceed to arrange the valid votes according to the candidates in whose favour they have been cast and count them separately for each candidate.

(xii) After the counting is over, the Returning Officer shall make an announcement in the meeting about the votes secured by each of the candidates and the Returning Officer shall also declare, in Form 'B' the candidate securing the largest number of valid votes as duly elected to be the President.

(xiii) In the event of two or more candidates securing the same number of votes and that number being more than the number of votes secured by any candidate other than the two or more securing the same number of votes, the determination as between such candidates shall be by draw of lots and the candidate on whom the lot falls, shall be declared elected.

(xiv) The Returning Officer shall intimate the name of the person so elected as President to the Central Government.

4. Election of Vice-President—For the election of the Vice-President, the provisions of regulation 3 shall apply as if for the expression "President" occurring therein, the expression "Vice-President" is submitted.

Dr. P. L. VERMA,  
Secy.

### FORM 'A'

#### ELECTION OF PRESIDENT|VICE PRESIDENT

(Under regulation No. 3 of the Homoeopathy Central Council (Election of President and Vice-President) Regulations, 1976)

#### BALLOT PAPER

S. No.	Name of the Candidates	

Signature of the Returning Officer

#### INSTRUCTIONS

1. Each elector has only one vote.
2. The elector should place the Mark (X) clearly opposite the name of the candidate of his choice.

### FORM 'B'

#### ELECTION OF PRESIDENT|VICE-PRESIDENT.

[Under regulation No. 3 of the Homoeopathy Central Council (Election of President and Vice-President) Regulations 1976].

I hereby declare that \_\_\_\_\_, a member of the Central Council of Homoeopathy, has been duly elected under sub-section (2) of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973, as the President|Vice-President of the said Council.

RETURNING OFFICER.

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_